हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/03/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी बावजूद आवाजे दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29/04/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
29/4/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 16/5/22 को पेश हों।
16/05/22	पत्रावली आज पेश हुयी वकील प्रार्थीगण उप०। बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/5/22 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी
19/05/22	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान फोलोअप कैम्प [illegible] पेश हुयी पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया विपक्षीगण बावजूद कोरिट तामील अनुपस्थित रहे हैं। प्रकरण के सम्बन्ध में पटवारी से जानकारी ली गयी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ [illegible] को भेजी [illegible] पालना प्राप्त होने पर [illegible] पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] (प्रमोद कुमार) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी [illegible] प्रशासन [illegible] अभियान 2021 पंचायत [illegible] /आडेल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 07 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. अणसीदेवी पत्नी पेमाराम
2. खेमा पुत्र डालू
3. गेनीदेवी पत्नी गोरखाराम
4. घमण्डाराम पुत्र जगमालराम
5. चूनाराम पुत्र जगमालराम
6. चेनाराम पुत्र जगमालराम
7. जगदीश पुत्र गोरखाराम
8. थानाराम पुत्र गोरखाराम
9. देवाराम पुत्र खीयाराम
10. प्रभुराम पुत्र जगमालराम
11. पारूदेवी पत्नी खीयाराम
12. बाबूलाल पुत्र पेमाराम
13. भूराराम पुत्र जगमालराम
14. माना पुत्र डालू
15. मोहनलाल पुत्र डूंगराराम
16. रामाराम पुत्र खीयाराम
17. वनू पत्नीमोडा
18. हतु पत्नी जगमालराम
19. हेमाराम पुत्र जगमालराम
20. हेमी पत्नी डूंगराराम
    जाति जाट निवासी नेहरों का बेरा, नौखडा तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर (विप्रार्थी संख्या 7 व 8 नाबालिग की वली माता प्रार्थी संख्या 3 एवं प्रार्थी संख्या 9 नाबालिग की वली माता प्रार्थी संख्या 11 तथा प्रार्थी संख्या 15 नाबालिग की वली माता प्रार्थ संख्या 20)

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पेमा पुत्र खूमा
2. लच्छा पुत्र खूमा
3. दुरगाराम दत्तक पुत्र मूलाराम
4. कूंभा पुत्र केसरा
5. करनाराम पुत्र केसरा
6. पूरा पुत्र केसरा
7. वाली पत्नी केसरा
8. दौलाराम पुत्र मदरूपाराम
9. खरता पुत्र सता
10. दुर्गा पुत्र सता
11. पोकर पुत्र सता
12. खींयाराम पुत्र मोहणा
13. जसाराम पुत्र मोहणा
14. दुर्गाराम पुत्र मोहणा
15. अचलाराम पुत्र वालाराम
16. गेनाराम पुत्र वालाराम
17. चेतनराम पुत्र वालाराम
18. ठाकराराम पुत्र वालाराम
19. नथाराम पुत्र वालाराम
20. नवलाराम पुत्र वालाराम
21. पदमाराम पुत्र वालाराम
    जाति जाट निवासी हूड़ों का तला तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
22. केसा पुत्र जेठा
23. जोगा पुत्र जेठा
24. धना पुत्र जेठा
25. बिंजा पुत्र जेठा
26. मघा पुत्र जेठा जाति जाट निवासी नेहरों का बेरा तहसील नौखडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

31. शाखा प्रबन्धक भू.वि. बैंक लि0 बालोतरा
32. तहसीलदार नौखडा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 19/05/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2078 सरहद मौजा हूडों का तला के खेत खसरा नम्बर 257/1, 257/3 रकबा क्रमशः 0.1700, 9.4373 है0 खसरा नम्बर 307/2 रकबा 6.0379 है0 एवं मौजा नेहरों का बेरा के खेत खसरा नमबर 259, 260 रकबा क्रमशः 0.0971, 14.5282 है0 का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा हूडों का तला के खेत खसरा नम्बर 257/1, 257/3 रकबा क्रमशः 0.1700, 9.4373 है0 खसरा नम्बर 307/2 रकबा 6.0379 है0 एवं मौजा नेहरों का बेरा के खेत खसरा नमबर 259, 260 रकबा क्रमशः 0.0971, 14.5282 है0 के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा ... अधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस ... किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:20 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 19/5/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रावलनाडी